महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(Ministry of HRD, Govt. of India)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

प.सं. 17-3/2019 (प्र./वि.)/मसारावेविप्र/1063 दिनांक : 14.09.2021

कार्यालय आदेश

विषय : वेदपाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में अध्यापकों की उपस्थिति एवं छात्रों को अध्यापक द्वारा स्वयं अध्यापन कराने के संबंध में ।

प्रतिष्ठान से अनुदानित कुछ वेद पाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परम्परा योजना इकाइयों के औचक निरीक्षण के दौरान यह बात ध्यान में आई है, कि वेदपाठशाला/ गुरु-शिष्य परम्परा इकाई के कई वेदाध्यापक अपने अधीन अध्ययनरत वरिष्ठ छात्रों से ही कनिष्ठ नवीन प्रवेशित छात्रों को वेद अध्ययन करा रहे हैं तथा वेद अध्यापक कक्षा समय में वेदपाठशाला/ इकाई में उपस्थित नहीं रहकर अन्यत्र कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है।

अतः समस्त वेदपाठशाला एवं गुरु-शिष्य परम्परा योजना इकाई अध्यापकों को पुनः कड़ा निर्देश दिया जाता है, कि वे अपने अधीन अध्ययनरत समस्त छात्रों को कक्षा समयानुसार स्वयं ही वेदाध्ययन कराएं जिससे छात्रों को सस्वर शुद्ध वेद उच्चारण कंठस्थ हो सके । अध्यापक को छात्रों को अध्ययन विषय संपूर्ण वेद शाखा संहिता को कंठस्थ कराना है । प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी वेदपाठशाला / इकाई के औचक ऑनलाइन / साक्षात् उपस्थिति के साथ निरीक्षण करने पर किसी भी प्रकार की अध्यापन (स्वंय अध्यापक द्वारा अध्यापन नहीं कराते पाए जाने पर) या अन्य व्यवस्थाओं में अनियमितता पाए जाने पर वेद पाठशाला/इकाई के अनुदान को तत्काल प्रभाव से बाधित कर पाठशाला / इकाई की मान्यता निरस्त की जा सकती है ।

14/9

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

प्रतिलिपि : (1) सचिव के निजी सचिव, मसारावेविप्र

(2) समस्त वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापकों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ ।

(3) कार्यालय आदेश पत्रावली ।

दूरभाष (0734)2502266, 2502254, 2502255 **फैक्स** (0734-2502253)
E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in